

29.5.19

पत्रावली पेश हुई / वादी / जर्मी- अधिवक्ता उपस्थित
नहीं। जर्मी अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ताओं की
ओपर तामील हेतु तलवागपेश नहीं किया गया
अतः पत्रावली न्यायालय के आदेशों की फलका
नहीं करने पर 04RS CPL में प्रार्थना-पत्र-दी-कारि
स्वार्थित किया जाता है पत्रावली पेशाल-शुमार,
नम्बर से कर हो। निर्णय सेरे रिजलात पुनःप्राप्त

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम) जयपुर

